न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1 केकड़ी जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी – जयमाला पानीगर, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी सेशन प्रकरण संख्या – 28/2017.

सी.आई.एस. नंबर – 11/2019.

सी.एन.आर. नंबर – आर.जे.ए.जे.1300007732017.

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर.

ब ना म

1. रेशमी सिंह पुत्र जोरासिंह आयु 35 वर्ष, निवासी मिश्रीवाला, पुलिस थाना कोट कपूरा, जिला–फरीदाबाद, पंजाब **(फौत).**
2. हेमराज उर्फ हेमा पुत्र उदयलाल आयु 34 वर्ष, निवासी रामपुरिया, पुलिस थाना बेगू, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.).
3. उदयलाल पुत्र भंवरलाल आयु 42 वर्ष, निवासी रामपुरिया, पुलिस थाना बेगू, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.).
4. जोरासिंह पुत्र अर्जुनसिंह आयु 74 वर्ष, निवासी मिश्रीवाला, पुलिस थाना सदर फरीदकोट, जिला–फरीदकोट (पंजाब)

.. अभियुक्तगण.

अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/25, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985.

उपस्थितिः–

1. अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य.
2. श्री आशुतोष कुमावत, अधिवक्ता अभियुक्त हेमराज उर्फ हेमा.
3. श्री मौहम्मद हुसैन, अधिवक्ता अभियुक्तगण उदयलाल व जोरासिंह.

––––––

– नि र्ण य – **दिनांक–04 अप्रैल 2026.**

01– प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्त रेशमीसिंह की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 21–11–2022 को आपराधिक

कार्यवाही समाप्त की गई। अब इस निर्णय के द्वारा शेष अभियुक्तगण हेमराज उर्फ हेमा, उदयलाल व जोरासिंह के विरूद्ध ही प्रकरण निस्तारित किया जा रहा है।

02– हस्तगत प्रकरण में पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा दिनांक 19–08–2017 को अभियुक्त रेशमीसिंह के विरूद्ध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्टं व अभियुक्त हेमराज के विरूद्ध दिनांक 25–10–2017 को अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा दिनांक 15–02–2025 को अभियुक्त उदयलाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्त जोरासिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा अभियुक्त गोरचियती सिंह उर्फ गुरूचित सिंह उर्फ गुरूचेत सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश दिए गए। निर्णय के दौरान स्वापक औषधिक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम को अधिनियम से संबोधित किया जाएगा।

03– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 22–02–2017 को समय 7.30 ए.एम. पर एस.एच.ओ. भूपेश शर्मा, पुलिस थाना सरवाड़ को जरिए मुखबीर खास इत्तिला मिली कि एक सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी नंबर आर.जे.13–यू.ए.–3855 जिसमें दो आदमी बैठे हुए है, जो गाड़ी में अवैध डोडा पोस्त चूरा भरकर देवली की तरफ से केकड़ी, सरवाड़ होते हुए नसीराबाद की तरफ जायेंगे, जिसमें डोडा पोस्त चूरा मिल सकता है। इत्तिला विश्वसनीय होने पर धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मुर्तिब कर बदस्त कानि. गणेश के साथ श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अजमेर व सी.ओ. वृत्त केकड़ी को प्रेषित करने हेतु रवाना कर समय 7.45 ए.एम. पर एस.एच.ओ. भूपेश शर्मा मय जाप्ता प्रभातीलाल स.उ.नि., राधामोहन हैड कानि., विनोद कुमार, विजेन्द्र कुमार कानि, मय अनुसंधान बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर, इलेक्ट्रोनिक कांटा थाना सरवाड़ से रवाना होकर सरवाड़ टोलनाका पहुंचे। जाप्ते को मुखबीर की इत्तिला से अवगत कराया। कानि. विनोद कुमार को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु हुकमनामा देकर रवाना किया, जो दो व्यक्ति ओमप्रकाश व रघुवीर सिंह को लेकर आया, जिन्हें एस.एच.ओ. ने मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर स्वतंत्र गवाह बनने की लिखित में सहमति प्राप्त की।

04– प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि समय 8.30 ए.एम. पर टोल प्लाजा से थोड़ा पहले सरवाड़ की तरफ नाकाबंदी शुरू की गई। इसी दरमियान एक सफेद रंग की स्कार्पियो नंबर आर.जे.13–यू.ए.–3855 सरवाड़ की तरफ से तेजी से आई, जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्हें हाथ का इशारा कर रूकवाने की कोशिश की तो चालक ने नाकाबंदी तोड़ते हुए गाड़ी को तेज गति से 50 मीटर आगे ले गया, लेकिन टोल प्लाजा का बेरियर लगा हुआ देखकर एकदम ब्रेक लगाकर रोका। चालक के पास वाली सीट पर बैठा व्यक्ति मौका

देखकर नीचे उतरकर जंगल की तरफ भाग गया, जिसका पीछा किया, लेकिन जंगलात की तरफ झाड़ियों में भागने में सफल हो गया। चालक को पकड़कर उसका नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम रेशमीसिंह बताया तथा फरार व्यक्ति का नाम पूछने पर उसका नाम गोरचियती सिंह होना बताया। रेशमीसिंह को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर उसे धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर लिखित में जवाब प्राप्त किया गया, जिसने वाहन व स्वयं की तलाशी थानाधिकारी द्वारा लिवाए जाने की सहमति दी। चालक से गाड़ी में भरे सामान के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। थानाधिकारी ने जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष स्कार्पियो की तलाशी ली तो बीच वाली सीट के आगे एक हरे रंग का प्लास्टिक का कट्टा व पीछे काले रंग के तिरपाल को हटाकर देखने पर वहां सात प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए पड़े मिले।

05– प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि रेशमीसिंह के समक्ष कट्टों को खोलकर चैक किया तो उनमें अफीम डोडा पोस्त का चूरा भरा होना पाया गया। रेशमीसिंह ने भी अफीम डोडा पोस्त चूरा होना बताया। रेशमीसिंह से उक्त अफीम डोडा पोस्त चूरा परिवहन करने का लाईसेन्स मांगा तो नहीं होना बताया। उक्त अवैध डोडा पोस्त के कट्टों को साथ लाए इलेक्ट्रोनिक कांटे से पृथक–पृथक तोल किया तो सभी आठ कट्टों में समान वजन 35 किलो 400 ग्राम कुल वजन 283 किलो 200 ग्राम हुआ। उक्त कट्टों में से एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु एक–एक किलो नमूना सेम्पल व एक–एक किलो कन्ट्रोल सेम्पल पृथक–पृथक लिए जाकर सफेद कपड़े की थैलियों में बंद कर सीलमोहर किया गया। कट्टों पर क्रमशः मार्का ए–1 से ए–8, नमूना सेम्पल पर बी–1 से बी–8 व कन्ट्रोल सेम्पल पर सी–1 से सी–8 अंकित किया गया। फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब की गई। स्कार्पियो की गहनता से तलाशी ली गई तो गाड़ी के आगे–पीछे नंबर प्लेट पर आर.जे.13–यू.ए.–3855 नंबर लिखे हुए थे। गाड़ी की नंबर प्लेट के नीचे पीछे की तरफ दूसरे नंबर दिखाई दे रहे थे, जिस पर प्लेट को खोलकर देखा तो पीछे की तरफ पी.बी.03–आर–4581 नंबर लिखे हुए थे। गाड़ी की बाडी पर आगे–पीछे नंबर प्लेट के नीचे पी.बी.04– आर–0635 लिखे हुए थे। रेशमी सिंह से स्कार्पियो गाड़ी पर तीन–तीन नंबर प्लेट लगाकर रखने का कारण पूछने पर बताया कि पुलिस से बचने के लिए लगाई है।

06– प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि उक्त नंबर प्लेटों व तिरपाल को कब्जे पुलिस लिया जाकर जब्त किया गया व उन पर माका –डी अंकित किया गया। वाहन स्कार्पियो को पृथक से जब्त किया गया। कार्यवाही में काम में ली गई नमूना सील की फर्द बनाई गई व बाद कार्यवाही रूबरू मौतबीरान सील का पत्थर से मुंह तोड़कर नष्ट की गई। आरोपी रेशमीसिंह को धारा 52(1) एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही स्वतंत्र गवाहान को मौके से रूखसत किया गया तथा कार्यवाही से फारिग होकर

सीलशुदा आर्टिकल, जब्तशुदा फर्दात, जब्तशुदा स्कार्पियो गाड़ी को विनोद कुमार कानि. के साथ थाना रवाना किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी रेशमी सिंह को बाद तलाशी बंद हवालात किया गया व जब्तशुदा स्कार्पियो को थाना परिसर में सुरक्षित खड़ी करवाई जाकर सुपुर्द संतरी किया गया। जब्तशुदा माल को गाड़ी से बाहर निकालकर थाने की सील से पुनः रिसील्ड किया गया तथा जब्तशुदा अवैध डोडा पोस्त आर्टिकल मार्का को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया जाकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किया, आदि।

07– उक्त के आधार पर पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा प्रथम सूचना संख्या 61/2017 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त रेशमीसिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 8/15, अभियुक्तगण हेमराज उर्फ हेमा व उदयलाल के विरूद्ध धारा 8/29 तथा अभियुक्त जोरासिंह के विरूद्ध धारा 8/25 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार धाराओं में आरोप पत्र/तितम्बा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

08– बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त रेशमीसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट, अभियुक्तगण हेमराज उर्फ हेमा व उदयलाल को धारा 8/29 तथा अभियुक्त जोरासिंह को धारा 8/25 एन.डी.पी.एस.एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध आरोप को सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

09– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नांकित गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई:–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	ओमप्रकाश	स्वतंत्र गवाह, फर्द सहमति, जब्ती, गिरफ्तारी, फर्द नष्टीकरण सील आदि.
PW-02	विजेन्द्र कुमार	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-03	जितेन्द्र सिंह	फर्द गिरफ्तारी का गवाह.
PW-04	गणेशलाल	एफ.एस.एल. माल जमा वाहक.
PW-05	रघुवीर सिंह	स्वतंत्र गवाह, फर्द सहमति, जब्ती, गिरफ्तारी, फर्द नष्टीकरण सील आदि.
PW-06	प्रभातीलाल	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-07	विनोद कुमार	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-08	राजेन्द्र कुमार	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-09	हरिराम	अन्वेषण अधिकारी.
PW-10	सुखराम	ताईद सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
PW-11	अवतार सिंह	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.

PW-12	सोहनलाल	ताईद सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
PW-13	विजयसिंह	फर्द तस्दीक मौका डोडापोस्त स्थल.
PW-14	गणपताल	एच.एम. मालखाना.
PW-15	सिद्धार्थ	अन्वेषण अधिकारी.
PW-16	रामस्वरूप	चल–अचल सम्पत्ति का रेकार्ड लाने का गवाह.
PW-17	केदारसिंह	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका.
PW-18	राजकिरण	फर्द गिरफ्तारी, तस्दीक नक्शा–मौका.
PW-19	भूपेश शर्मा	मुकदमा मुस्तगिस, चाक एफ.आई.आर.
PW-20	सतपाल	हालात तफ्तीश.
PW-21	जगदीश प्रसाद	चार्जशीटा किता.
PW-22	अंकित परिहार	इन्वेन्ट्री सत्यापनकर्ता.
PW-23	सुरेन्द्र गोदारा	हालात तफ्तीश.

10– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गयाः–

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी–01	फर्द सहमति गवाह ओमप्रकाश.
प्रदर्श पी–02	फर्द नोटिस धारा 50(1) एन.डी.पी.एस. रेशमीसिंह.
प्रदर्श पी–03	फर्द जब्ती अवैध अफीम डोडा पोस्त चूरा
प्रदर्श पी–04	फर्द जब्ती फर्जी नंबर प्लेट व तिरपाल.
प्रदर्श पी–05	फर्द जब्ती वाहन स्कार्पियो.
प्रदर्श पी–06	फर्द नमूना सील.
प्रदर्श पी–07	फर्द नष्टीकरण सील.
प्रदर्श पी–08	फर्द नोटिस धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट.
प्रदर्श पी–09	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रेशमीसिंह.
प्रदर्श पी–10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हेमराज उर्फ हेमा.
प्रदर्श पी–10	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. ओमप्रकाश.
प्रदर्श पी–10	एस.पी.अजमेर द्वारा एफ.एस.एल. को जारी पत्र.
प्रदर्श पी–11	थानाधिकारी सरवाड़ द्वारा एस.पी. अजमेर को एफ.एस.एल. हेतु पत्र.
प्रदर्श पी–12	एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद.
प्रदर्श पी–13	फर्द सहमति गवाह रघुवीर सिंह.
प्रदर्श पी–14	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. रघुवीर सिंह.
प्रदर्श पी–15	फर्द नमूना रिसील्ड.
प्रदर्श पी–16	फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल.
प्रदर्श पी–17	फर्द जब्ती मोबाईल फोन.
प्रदर्श पी–18	स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु हुकमनामा.

प्रदर्श पी–19	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हेमराज उर्फ हेमा.
प्रदर्श पी–20	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त हेमराज.
प्रदर्श पी–21	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका.
प्रदर्श पी–21	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका.
प्रदर्श पी–22	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त हेमराज.
प्रदर्श पी–23	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त हेमराज.
प्रदर्श पी–24ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति.
प्रदर्श पी–25	फर्द इत्तिला धारा 27 सा.अ. अभियुक्त रेशमीसिंह
प्रदर्श पी–26	काल डिटेल बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–27	मोबाईल नंबर की कैफ बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–28	मोबाईल काल डिटेल.
प्रदर्श पी–29	कस्टमर इन्फोरमेशन फार्म अभियुक्त हेमराज.
प्रदर्श पी–30	वाहन स्वामी की जानकारी चाहने बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–31	अभियुक्त रेशमीसिंह का सजायाबी रेकार्ड बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–32	एफ.एस.एल. रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–33 व 34	आरोपी गोरचियती की चल–अचल सम्पत्ति चाहने बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–35	आरोपी जोरासिंह की चल–अचल सम्पत्ति चाहने बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–36	असल राजस्व रेकार्ड आरोपी गोरचियती सिंह.
प्रदर्श पी–37	आरोपी गोरचियती के सजायाबी रेकार्ड बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–38	फर्द तस्दीक नक्शा–मौका.
प्रदर्श पी–39	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जोरासिंह.
प्रदर्श पी–40	नोटिस धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट.
प्रदर्श पी–41 से 43	रोजनामचा रपट.
प्रदर्श पी–44	प्रथम सूचना रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–45 व 46	धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना.
प्रदर्श पी–47 व 48	इत्तिला धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट.
प्रदर्श पी–49 व 50	रोजनामचा रपट.
प्रदर्श पी–51 से 58	आर्टिकल–1 लगायत 8 मार्का सी–1 लगायत सी–8 डोडा चूरा कन्ट्रोल सेम्पल
प्रदर्श पी–59	आर्टिकल–9 दो नंबर प्लेट व एक काले रंग का तिरपाल मार्का–डी
प्रदर्श पी–60	एन.डी.पी.एस. एक्ट माल निस्तारण के संबंध में पत्र.
प्रदर्श पी–61	धारा 27 सा.अ. इत्तिला अभियुक्त उदयलाल.
प्रदर्श पी–62	आरोपी गोरचियती सजायाबी रेकार्ड व सकुन्नत बाबत् पत्र.
प्रदर्श पी–63	आरोपी गोरचियती की सकुन्नत बाबत् प्रमाण पत्र.
प्रदर्श पी–64	आरोपी गोरचियती की सकुन्नत बाबत् प्रमाण पत्र.
प्रदर्श पी–65	अभियुक्त जोरासिंह का सजायाबी रेकार्ड.
प्रदर्श पी–66	रोजनामचा रपट.
प्रदर्श पी–67	अभियुक्त उदयलाल वगै. के आरोप पत्र की फर्द.

प्रदर्श पी–68	थानाधिकारी केकड़ी द्वारा न्यायालय एम.जे.एम. केकड़ी को इन्वेन्ट्री बाबत् प्रार्थना पत्र.
प्रदर्श पी–69	इन्वेन्ट्री बाबत् आदेशिका.
प्रदर्श पी–70	न्यायालय एम.जे.एम. केकड़ी द्वारा इन्वेन्ट्री हेतु मालखाना प्रभारी सरवाड़ को जारी पत्र.
प्रदर्श पी–71	न्यायालय एम.जे.एम. केकड़ी द्वारा इन्वेन्ट्री हेतु अनुसंधान अधिकारी, केकड़ी को जारी पत्र.
प्रदर्श पी–72	इन्वेन्ट्री सत्यापन प्रतिवेदन.
प्रदर्श पी–73	इन्वेन्ट्री की विवरणिका.
प्रदर्श पी–74 लगायत 120	इन्वेन्ट्री बाबत् फोटोग्राफ्स.
प्रदर्श पी–121	इन्वेन्ट्री बाबत् आदेशिका.
प्रदर्श पी–122	न्यायालय एम.जे.एम.केकड़ी द्वारा न्यायालय ए.डी.जे. केकड़ी को इन्वेन्ट्री सत्यापन बाबत् रिपोर्ट.
प्रदर्श पी–123	जोरासिंह को धारा 41 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस.

11– दौराने विचारण अभियुक्त रेशमीसिंह की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 21–11–2022 को आपराधिक कार्यवाही समाप्त की गई।

12– अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत शेष अभियुक्तगण हेमराज उर्फ हेमा, उदयलाल व जोरासिंह से लिया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई।

13– बचाव पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गयाः–

प्रदर्श मार्क संख्या	**प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण**
प्रदर्श डी–01	मालखाना रजिस्टर की प्रति.

14– विद्वान अपर लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध पूर्ण रूप से साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

15– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता **अभियुक्तगण उदयलाल व जोरासिंह** का बहस के दौरान तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान के घटना की ताईद नहीं की है। प्रकरण में धारा 52ए की पालना नहीं की गई है। मुद्दा माल जिन कट्टों में जब्त किया था, वह इन्वेन्ट्री के दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिससे जब्ती की कार्यवाही दूषित हो गई है। अभियुक्त उदयलाल के द्वारा सह अभियुक्त के साथ अपराध को कारित

करने में किसी तरह का षडयन्त्र कारित किया गया हो तथा आपस में वार्तालाप की गई हो, इस संबंध में कोई लिंक साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

16– विद्वान अधिवक्ता **अभियुक्त हेमराज** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में सह अभियुक्त की इत्तिला के आधार पर अभियुक्त को अपराध में लिप्त किया गया है। सह अभियुक्त रेशमीसिंह के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी गई है, जिसमें केवल हेमराज लिखा हुआ है, उसके पिता व निवास स्थान के बारे में नहीं बताया गया है। अभियुक्त की सह अभियुक्त से किसी प्रकार की टेलीफोनिक वार्ता आपस में हुई हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तथा हेमराज के मोबाईल में जो सिम लगी हुई थी, उसका वह उपयोग कर रहा हो, इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध दुष्प्रेरण का अपराध साबित नहीं है। अतः निवेदन है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

17– हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

1. क्या दिनांक 22–02–2017 को समय 8.45 ए.एम. या उसके लगभग ग्राम सरवाड़ में टोल के गार्ड रूम के बाहर राजमार्ग पर वाहन स्कार्पियो नंबर पी.बी.04–आर–0635, जिसके आप पंजीकृत स्वामी थे, उक्त वाहन पर अभियुक्त रेशमी सिंह ने एक तरफ फर्जी नंबर प्लेट आर.जे.13–यू.ए.–3855 तथा दूसरी तरफ नंबर प्लेट पी.बी.03–आर–4851 लगा रखी थी, जिसमें 08 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 283 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्त का चूरा बरामद किया गया तथा आपने उक्त वाहन को अभियुक्त रेशमीसिंह को परिवहन हेतु दिया–**अभियुक्त जोरासिंह.**

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन स्कार्पियो नंबर पी.बी. 04–आर–0635 में अभियुक्त रेशमी सिंह ने एक तरफ फर्जी नंबर प्लेट आर.जे.13–यू.ए.–3855 तथा दूसरी तरफ नंबर प्लेट पी.बी.03–आर–4851 लगा रखी थी, जिसमें 08 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 283 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्त का चूरा बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद किया गया, जो अवैध मादक पदार्थ आप द्वारा अभियुक्त रेशमीसिंह को बेचान किया जाकर अपराध का दुष्प्रेरण किया गया– **अभियुक्तगण हेमराज व उदयलाल.**

3. यदि हां तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या–1 व 2</u>

–<u>स्वतंत्र गवाह के संबंध में विवेचन</u>–

18– जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण जोरासिंह व उदयलाल ने बहस के दौरान तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान ने अभियोजन पक्ष की कहानी की ताईद नहीं की है, इस कारण से जब्ती साबित नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **हनीफ खान उर्फ अन्नु खान बनाम सी.बी.एन. 2019 (4) सी.जे.(क्रि.)(एस.सी.) 1219** पेश किया।

19– उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो **गवाह पी.ड.–1 ओमप्रकाश** ने साक्ष्य दी है कि मुझे पता नहीं कि कब की बात है तथा क्या हुआ था। मुझे पुलिस वाले बुलाने नहीं आए थे, न ही मेरे समक्ष गाड़ी को पकड़ा तथा न ही तलाशी ली। यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि फर्द सहमति गवाह प्रदर्श पी–1, नोटिस धारा 50 प्रदर्श पी–2, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3, फर्द जब्ती नंबर प्लेट व तिरपाल प्रदर्श पी–4, फर्द जब्ती स्कोर्पियो प्रदर्श पी–5, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–6, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–7, फर्द नोटिस धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी–8, फर्द गिरफ्तारी रेशमीसिंह प्रदर्श पी–9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस बयान प्रदर्श पी–10 पुलिस को नहीं लिखाया। मैंने फर्दों पर हस्ताक्षर थाने पर किए थे। मेरे सामने कोई गाड़ी नहीं पकड़ी। यह कहना गलत हैकि मैं दिनांक 22–02–2017 को टोल प्लाजा पर मौजूद हो तथा उस दिन एस.एच.ओ. पी.एस. सरवाड़ ने स्कार्पियो गाड़ी रोकी हो, जिसमें मादक पदार्थ बरामद किया हो और मेरे वहां पर हस्ताक्षर करवाए हों। मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं तो मेरे दोस्त के साथ थाने में एक मोटरसाईकिल एक्सीडेन्ट के बारे में थाने पर आया था, जहां पर पुलिस वालों ने कहा कि आपके मुकदमें में राजीनामा करवा रहे हैं तो साईन कर दिए। **बचाव पक्ष** के द्वारा गवाह से कोई जिरह नहीं की गई।

20– **गवाह पी.ड.–5 रघुवीर सिंह** ने साक्ष्य दी है कि वह सन् 2017 में टोल प्लाजा सरवाड़ पर काम करता था। पुलिस वाले टोल प्लाजा पर आए थे तथा 5–7 कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। मेरे सामने पुलिस ने कोई डोडा पोस्त बरामद नहीं किया। यह गवाह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि फर्द सहमति गवाह प्रदर्श पी–13, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–6, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–7, फर्द नोटिस धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी–8, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रेशमीसिंह प्रदर्श पी–9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए। पुलिस बयान प्रदर्श पी–14 का ए से बी भाग ''उस समय.... प्राप्त किए'' तथा सी से डी ''जिन्होंने स्वयं.....हस्ताक्षर किए'', पुलिस को नहीं लिखाए।

उसके सभी फर्दों पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। यह कहना गलत है कि मेरे सामने थानेदार ने स्कार्पियो गाड़ी से डोडा पोस्त बरामद किया हो तथा मौके पर उसके सामने पुलिस वालों ने डोडा पोस्त बरामद के कागजात तैयार कर हस्ताक्षर करवाए हों। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिम से मिलकर झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष** की ओर से गवाह से कोई जिरह नहीं की गई।

21– अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया– **हनीफ खान उर्फ अन्नु खान बनाम सी.बी.एन. 2019 (4) सी.जे. (क्रि.)(एस.सी.) 1219** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्वतंत्र गवाहान ने यह कथन किया है कि वे तलाशी तथा जब्ती के समय उपस्थित नहीं थे। ये अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों की यर्थातता के संबंध में सन्देह उत्पन्न करता है।

22– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **संजीत कुमार उर्फ मुन्ना कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़, क्रि. अपील नंबर–871/2021 निर्णय दिनांक 30–08–2022** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि केवल मात्र स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित होने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिसकर्मियों की साक्ष्य विश्वसनीय है।

23– उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त से मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र गवाह पी.ड.–1 ओमप्रकाश व पी.ड.–5 रघुवीर सिंह अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, लेकिन गवाहान के द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा केवल मात्र स्वतंत्र गवाह के पक्षद्रोही घोषित होने से अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

–<u>धारा 52 ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के संबंध में विवेचन</u>–

24– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण जोरासिंह व उदयलाल ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.–15 सिद्धार्थ प्रजापत के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया हैकि जब्तशुदा माल को उसके द्वारा कब्जे में लिया गया, न ही टोलबूथ सरवाड़ से सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज ली। प्रकरण में जब्तशुदा प्रतिबंधित मादक पदार्थ के संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 बनाई गई है, जिसमें 08 कट्टों पर अंग्रेजी में **CPSIOSH BROILER PRE STARTET, CPF (INDIA) PVT. LTD. SAFIDON GOHANA ROAD DIST. PANIPAT** लिखा हुआ है तथा जब्तशुदा मादक पदार्थ की इन्वेन्ट्री न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाई गई है तथा उनके समक्ष भी कट्टों पर अंग्रेजी में CPSIOSH लिखा हुआ नहीं है तथा फोटोग्राफी में भी उक्त प्रिन्टेड मार्का अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि जब्तशुदा माल को बदल दिया गया है तथा अपने तर्क के समर्थन में **रामेश्वरलाल**

उर्फ रामचन्द्र बनाम स्टेट आफ राजस्थान, 2016 (1) आर.ए.एफ.(राज.) 321 पेश किया।

25– उभयपक्षों के तर्कों तथा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अभियोजन पक्ष के सबसे महत्वपूर्ण साक्षीगण गवाह पी.ड.–19 भूपेश शर्मा, पी.ड.–2 विजेन्द्र कुमार, पी.ड.–8 राजेन्द्र कुमार, पी.ड.–6 प्रभातीलाल, पी.ड.–7 विनोद हैं। **गवाह पी.ड.–19 भूपेश शर्मा** जो कि जब्ती अधिकारी है, ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 22–02–2017 को थानाधिकारी थाना सरवाड़ था। उस दिन सुबह देवली से नसीराबाद की तरफ एक स्कार्पियो में दो जनों द्वारा मादक पदार्थ ले जाने की जानकारी मिलने पर सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाकर सरवाड़ टोल से पहले नाकाबंदी की गई। कानि. विनोद को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु हुकमनामा देकर भेजा, जो दो व्यक्तियों को लेकर आया, जिन्हें मुखबीर की सूचना से अवगत कराते हुए गवाह बनने की सहमति प्राप्त की। कुछ समय बाद एक स्कार्पियो गाड़ी आई, जिसने नाकाबंदी तोड़ी तथा बाद टोल का बेरियर गिरने से ब्रेक मारे। चालक सीट पर बैठा व्यक्ति बैठा रहा तथा दूसरा व्यक्ति गेट खोलकर जंगल की तरफ भाग गया, जो घना जंगलात होने के कारण आंखो से ओझल हो गया। स्वतंत्र गवाह ओमप्रकाश व रघुवीर के समक्ष गाड़ी चालक से नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम रेशमी सिंह बताया तथा गाड़ी में रखे माल के बारे में पूछने पर कुछ नहीं बोला। रेशमी सिंह से स्वयं की व गाड़ी की तलाशी बाबत् लिखित सहमति प्राप्त कर तलाशी ली गई। **गाड़ी की तलाशी के दौरान बीच की सीट में नीचे की तरफ एक सफेद कट्टा तथा पीछे वाली सीट पर सात कट्टे काले तिरपाल से ढके मिले, जिनको खोलकर देखा तो अनुभव के आधार पर डोडा चूरा पाया।** इलेक्ट्रोनिक कांटे से तोल करने पर प्रत्येक कट्टे में 35 किलो 400 ग्राम तथा कुल 283 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा मिला। प्रत्येक कट्टे में से एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु एक–एक किलो नमूना व कन्ट्रोल सेम्पल लेकर सभी को चिटचेपा कर मार्का किया। मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को मोबाईल पर दी। मौके पर सील नष्टीकरण की कार्यवाही की गई। भागने वाले व्यक्ति का नाम रेशमीसिंह ने गोरचियती सिंह होना बताया। मौके पर समस्त कार्यवाही कर थाना आकर समस्त माल मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर रिसील्ड किया। कार को थाने में सुरक्षित खड़ी की व गिरफ्तार व्यक्ति रेशमीसिंह को संतरी सुपुर्द कर बंद हवालात किया तथा प्रकरण संख्या–61/2017 अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट दर्जकर उच्चाधिकारियों के आदेश से अनुसंधान थानाधिकारी, भिनाय के सुपुर्द किया।

26– **गवाह पी.ड.–19 भूपेश शर्मा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित की। फर्द सहमति गवाह ओमप्रकाश प्रदर्श पी–1 है। नोटिस धारा 50(1) एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी–2 है। फर्द जब्ती अवैध डोडा पोस्त प्रदर्श पी–3 है। फर्द जब्ती फर्जी नंबर प्लेट व तिरपाल प्रदर्श पी–4 है। फर्द जब्ती वाहन स्कार्पियो प्रदर्श पी–5 है। फर्द नमूना

सील प्रदर्श पी–6, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–7, फर्द नोटिस धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी–8, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रेशमी सिंह प्रदर्श पी–9 है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अजमेर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को एफ.एस.एल. हेतु अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–10 है। थानाधिकारी सरवाड़ से पुलिस अधीक्षक, अजमेर को एफ.एस.एल. हेतु माल भिजवाने के लिए अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11 है। एफ.एस.एल. में माल जमा होने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–12, फर्द सहमति गवाह रघुवीर प्रदर्श पी–13, फर्द नमूना रिसील्ड प्रदर्श पी–15 है। फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–16, फर्द जब्ती एक मोबाईल अन्तर्गत धारा 102 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी–17, फर्द हुकमनामा प्रदर्श पी–18, नकल रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–41 लगायत पी–43, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–44, धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रदर्श पी–45 व पी–46, धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रदर्श पी–47 व पी–48, नकल रोजनामचा प्रदर्श पी–49 व पी–50 हैं, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

27– **गवाह पी.ड.–19 भूपेश शर्मा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि आर्टिकल–1 लगायत 8 एक सफेद कपड़े की थैली में डोडा चूरा कन्ट्रोल सेम्पल मार्का सी–1 लगायत सी–8, जिन पर चिटचिट प्रत्येक आर्टिकल पर प्रदर्श पी–51 लगायत पी–58 है। आर्टिकल–9 दो नंबर प्लेट व काले रंग का तिरपाल मार्का–डी, जिस पर सीलचिट चेपा प्रदर्श पी–59 है, जिन पर मुकदमा नंबर–61/2017 व मालखाना मद संख्या–65/2017 पुलिस थाना सरवाड़ अंकित है तथा उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–24 है, जिस पर मुकदमा नंबर, मालखाना मद संख्या, माल जमा विवरण, एफ.एस.एल. लैटर, जब्तशुदा वाहन की सुपुर्दगी, इन्वेन्ट्री की कार्यवाही, मूल माल नष्ट व स्कार्पियो की इन्वेन्ट्री का इन्द्राज है। मूल माल नष्टीकरण का आदेश प्रदर्श पी–60 है, जिसके क्रम संख्या–18 पर उक्त प्रकरण 61/2017 का इन्द्राज है।

28– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि प्रकरण दर्ज करने के बाद पत्रावली थानाधिकारी भिनाय को उसी दिन सुपुर्द कर दी थी तथा दिनांक 22–02–2017 को शाम 06 बजे से पहले सिद्धार्थ प्रजापत थानाधिकारी मेरे साथ थे, फिर कहा कि प्रकरण दर्ज होते ही उसका अनुसंधान सिद्धार्थ प्रजापत के नाम हुआ था तो वह सांयकाल भिनाय थाने से पत्रावली प्राप्त करने हेतु सरवाड़ थाने आ गए थे। नाकाबंदी हेतु घटनास्थल टोलनाका सरवाड़ पर पहले से ही बेरिकेड्स रखे हुए थे। यह सही है कि टोलनाके पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए थे, लेकिन अधिकतर समय वे खराब या बंद ही रहते हैं तथा जो भी व्यक्ति या वाहन टोलनाका पार करेगा, उसकी फुटरेज अगर सी.सी.टी.वी. कैमरा चालू होंगे तो उसमें आ जाएगी, क्योंकि टोल पर लगे कैमरे पर विजन सिर्फ टोल पर आने वाले वाहन व वाहन नंबर तक ही सीमित है। मेरे पास एन्ड्रायड मोबाईल था, लेकिन मैंने मौके की वीडियोग्राफी नहीं की। मेरे द्वारा 02 स्वतंत्र गवाह लाने हेतु

कांस्टेबल विनोद को भेजा था तथा वह दो व्यक्तियों को लेकर आया था, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि वे दो व्यक्ति टोलनाके के कर्मचारी थे या नहीं। **मैंने वाहन में मादक पदार्थ पकड़े थे, उनकी फोटोग्राफी नहीं की।** कट्टों में से एक–एक किलो नमूना व कन्ट्रोल सेम्पल निकाला, शेष माल का वजन फर्द जब्ती में नहीं लिखा। यह सही है कि मैंने जो सील काम में ली थी, उसे स्वतंत्र गवाहान को सुरक्षित रखने हेतु नहीं दी तथा मौके पर ही नष्ट कर दी थी। यह सही हैकि मैंने वाहन के स्वामित्व के संबंध में रेशमीसिंह से पूछताछ नहीं की तथा मुझे आज याद नहीं कि वाहन में रजिस्ट्रेशन मिला था या नहीं। यह कहना गलत हैकि मौके पर कार्यवाही नहीं की हो तथा थाने पर बैठकर समस्त फर्दें तैयार की हो।

29– **गवाह पी.ड.–2 विजेन्द्र कुमार** जो कि जाप्ते का सदस्य था, ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 22–02–2017 को पुलिस थाना सरवाड़ में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन भूपेश शर्मा को जरिए मुखबीर इत्तिला प्राप्त हुई कि एक सफेद गाड़ी आर.जे.13–यू.ए.–3855 में दो व्यक्ति गाड़ी में बैठे हैं, जिनके पास अवैध डोडा पोस्त है, जो देवली की तरफ से आ रहे हैं तथा देवली की तरफ से सरवाड़ होते हुए नसीराबाद जाएंगे। उक्त इत्तिला पर नाकाबंदी की गई तथा उक्त वाहन को रोका गया तथा आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना की जाकर वाहन की तलाशी ली गई। **गाड़ी के अन्दर बीच वाली सीट पर एक हरे रंग का कट्टा पड़ा हुआ था तथा पीछे वाली सीट पर काले तिरपाल से ढका हुआ था, जिसे हटाकर देखा तो उसमें 07 सफेद रंग के कट्टे पड़े थे।**

30– **गवाह पी.ड.–6 प्रभातीलाल** जो कि जाप्ता का सदस्य था, ने साक्ष्य दी हैकि वाहन संख्या–आर.जे.13–यू.ए.–3855 से 08 प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए थे। इसी तरह से **गवाह पी.ड.–7 विनोद** ने साक्ष्य दी है कि **वाहन संख्या–आर.जे.13–यू.ए.–3855 के पीछे वाली सीट पर एक सफेद हरे रंग का प्लास्टिक का कट्टा तथा बीच वाली सीट पर 07 सफेद हरे रंग के कट्टे बरामद किए थे। गवाह पी.ड.–8 राजेन्द्र कुमार** ने साक्ष्य दी है कि **वाहन संख्या–आर.जे.13–यू.ए.–3855 के आगे वाली सीट पर एक सफेद हरे रंग का कट्टा, जिस पर अंग्रेजी में मार्का लिखा हुआ था तथा पीछे सीट पर काले तिरपाल से ढके हुए 07 कट्टे बरामद किए थे, जिनमें डोडा पोस्त भरा हुआ था।**

31– **गवाह पी.ड.–15 सिद्धार्थ प्रजापत** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 22.02.2017 को पुलिस थाना भिनाय पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। मुझे उस दिन मुकदमा संख्या 61/2017 अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट की पत्रावली वास्ते अनुसंधान प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान गवाहान भूपेश शर्मा, प्रभाती लाल, राधामोहन, विजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र, विनोद कुमार, ओमप्रकाश व रघुवीर के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। परिवादी भूपेश शर्मा की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–16 बनाया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफतार मुलजिम रेश्मी सिंह ने धारा 27

साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि ''मैं जोगणिया माता चित्तौडगढ के पास से हेमराज व उदयलाल नाम के व्यक्ति से अफीम डोडा पोस्त चूरा लेकर आया था, उन व्यक्तियों व जगह को आपके साथ चलकर बता सकता हूं'', इत्तला प्रदर्श पी–25 है, जिस पर ए से बी अभियुक्त रेशमी सिंह तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द तस्दीक नक्शा मौका अवैध डोडा पोस्त स्कॉरपियों गाडी भरने का स्थान, पालका गांव का कच्चा रास्ता प्रदर्श पी–21 है। एफ.एस.एल. जमा रसीद प्रदर्श पी–12 है। **उसके द्वारा कॉल डिटेल प्राप्त करने के संबंध में एस.पी. साहब को लिखे गए पत्र का ई–मेल प्रदर्श पी–26 है तथा केफ फार्म प्रदर्श पी–27 है। उसके द्वारा अभियुक्त हेमराज के मोबाईल नबरं 8875051469 व 9828099644 तथा अभियुक्त रेश्मी सिंह के मोबाईल नंबर 8427736825 व 7087128839 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–28 निकाली गई, जिसमें कुल 30 पेज थे। हेमराज का केफ फॉर्म प्रदर्श पी–29 है, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित है।** प्रकरण में प्रयुक्त वाहन स्कॉरपियो पीबी 04 0635 के स्वामित्व के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी फरीदकोट को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–30 है, जिस पर ए से बी भाग पर एएसआई दिलीप सिंह के हस्ताक्षर सी से डी जिला परिवहन अधिकारी फरीदकोट का जवाब अंकित है। अभियुक्त रेश्मी सिंह का सजायाप्ता रिकॉर्ड प्रदर्श पी–31 है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 है। फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। श्रीमान एसपी साहब के आदेश की अनुपालना में उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना केकडी को सुपुर्द की गई।

32– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मेरे द्वारा घटना में जब्त जो मालखाने में जमा था, उसे अपने कब्जे में नहीं लिया। मैंने घटनास्थल से सी.सी.टी.वी. फुटेज नहीं ली, न ही वहां पर कार्यरत कर्मचारियों के बयान लिए, न ही मौके पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई। गवाह ने फिर कहा कि प्रश्नगत वाहन घटनास्थल पर नहीं खड़ा था, बल्कि थाने पर खड़ा था। यह सही हैकि नक्शा–मौका तस्दीक प्रदर्श पी–21 बनाने के लिए प्राईवेट वाहन से गए थे तथा वहां के स्थानीय नागरिकों को गवाह नहीं बनाया तथा मैंने काल डिटेल प्राप्त करने के संबंध में नोडल अधिकारी के बयान लेखबद्ध नहीं किए थे।

33– दस्तावेजी साक्ष्य फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ प्रदर्श पी–3 का अवलोकन किया जावे तो उक्त फर्द ओमप्रकाश व रघुवीर मौतबीर के समक्ष बनाई गई थी। फर्द जब्ती में प्रश्नगत वाहन में 08 कट्टे बरामद किए गए हैं, जिसमें अफीम डोडा पोस्त का पिसा हुआ चूरा भरा होना बताया गया है। स्कार्पियो गाड़ी में मिले सफेद व हरे रंग के प्लास्टिक के सभी कट्टों पर अंग्रेजी में **CPSIOSH BROILER PRE STARTET, CPF (INDIA) PVT. LTD. SAFIDON GOHANA ROAD DIST. PANIPAT** लिखा हुआ तथा समस्त कट्टों का कुल वजन 283.200 किलोग्राम होना पाया गया। मौके पर नमूना व कन्ट्रोल सेम्पल क्रमशः बी–1 से बी–8 तथा सी–1 से सी–8 तथा शेष कट्टों पर ए–1 से ए–8 मार्का अंकित

किया गया। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की इन्वेन्ट्री करवाई गई है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट **गवाह पी.ड.–22 अंकित परिहार** बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित हुए हैं तथा गवाह ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 17.08.2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग केकड़ी के पद पर पदस्थापित था। पुलिस थाना केकड़ी से एम.जे.एम केकड़ी को इन्वेन्ट्री हेतु पत्र प्रदर्श पी–68 है। आदेशिका दिनांक 17.08.2017 प्रदर्श पी–69 है जिस पर ए से बी उसके तथा मालखाना इंचार्ज के हस्ताक्षर है। न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी से मालखाना प्रभारी पुलिस थाना सरवाड़ को तहरीर प्रदर्श पी–70 है। पुलिस थाना केकड़ी को इन्वेन्ट्री हेतु तहरीर प्रदर्श पी–71 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। इन्वेन्ट्री सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श पी–72 है, जिस पर उसके, मालखाना इंचार्ज गणपतलाल, हरिराम कुमावत थानाधिकारी पुलिस थाना केकड़ी, अशोक कुमावत रीडर न्यायिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर न्यायालय की सील अंकित है। सत्यापन रिपोर्ट के साथ संलग्न मालखाना की प्रति प्रदर्श पी–73 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इन्वेन्ट्री कार्यवाही के दौरान खींचे गये फोटोग्राफस् प्रदर्श पी–74 लगायत् प्रदर्श पी–120 है। आदेशिका दिनांक 30.08.2017 प्रदर्श पी–121 है। न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी से माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश केकड़ी को लिखा गया गोपनीय पत्र प्रदर्श पी–122 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण जोरासिंह व उदयलाल की जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मेरे समक्ष नमूना सेम्पल मार्का ए–1 से ए–8 व सी–1 से सी–8 नहीं निकाले गए तथा मेरे समक्ष सत्यापन प्रतिवेदन पेश हुआ था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा कार्यवाही निष्पादित की गई थी। मेरे समक्ष अनुसंधान अधिकारी ने नमूना सेम्पल नहीं निकाला था, न ही सेम्पल निकालने हेतु कोई आवेदन पेश किया।

34– **गवाह पी.ड.–22 अंकित परिहार** के द्वारा इन्वेन्ट्री की कार्यवाही के दौरान सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श पी–72 तैयार की गई है, जिसमें एफ.आई.आर. संख्या–61/17 में अभिग्रहित पदार्थ सामग्री कुल 09 प्लास्टिक के कट्टे व 08 कपड़े के पैकेट मय केस डायरी पेश की गई थी। सत्यापन प्रतिवेदन की विवरणिका प्रदर्श पी–73 है, जिसमें भी कुल 08 प्लास्टिक के कट्टे पेश किए गए हैं तथा मार्का–डी के एक तरफ सीलचपड़ी किया गया है तथा मुंह सूतली से बंधा हुआ है। **सत्यापन प्रतिवेदन की विवरणिका प्रदर्श पी–73 में सफेट कट्टो पर अंग्रेजी का मार्का CPSIOSH अंकित नहीं है। इन्वेन्ट्री के दौरान खिंचवाए गए फोटोग्राफ प्रदर्श पी–74 लगायत पी–120 है, जिनका अवलोकन किया जावे तो उक्त फोटोग्राफ्स में दर्शित सफेद प्लास्टिक के कट्टों पर CPSIOSH अंकित नहीं है। फोटो प्रदर्श पी–95 हल्के पीले रंग का कट्टा है, जिस पर अंग्रेजी में More Eggs Gro लिखा हुआ है, जिस पर मुर्गी का चिन्ह् अंकित है**, जबकि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान पी.ड.–2 विजेन्द्र कुमार, पी.ड.–7 विनोद के द्वारा प्रश्नगत वाहन से सफेद, हरे रंग के कट्टे बरामद होना बताया है। गवाह पी.ड.–6 प्रभातीलाल द्वारा 08 प्लास्टिक के कट्टे बरामद होना बताया है, जबकि **गवाह पी.ड.–8 राजेन्द्र**

कुमार ने कथन किया है कि प्रश्नगत वाहन के बीच वाली सीट पर एक हरा, सफेद कट्टा तथा पीछे वाली सीट पर 07 कट्टे, जिन पर अंग्रेजी में मार्का लिखा हुआ था। इस संबंध में जब्ती अधिकारी **गवाह पी.ड.–19 भूपेश शर्मा** ने मात्र कथन किया हैकि 08 प्लास्टिक के कट्टे प्रश्नगत वाहन से बरामद किए गए थे, जबकि जब्ती अधिकारी भूपेश शर्मा के द्वारा फर्द जब्ती अवैध डोडा पोस्त प्रदर्श पी–3 में स्कार्पियो गाड़ी में मिले **सफेद व हरे रंग के प्लास्टिक के सभी कट्टों पर अंग्रेजी में CPSIOSH BROILER PRE STARTET, CPF (INDIA) PVT. LTD. SAFIDON GOHANA ROAD DIST. PANIPAT** लिखा हुआ है तथा सभी कट्टे एक ही प्रकार के थे। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में जब्तशुदा माल जो इन्वेन्ट्री के लिए पेश किया गया था, वह माल नहीं था, जो फर्द जब्ती के समय जब्ती अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था।

35– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **रामेश्वरलाल उर्फ रामचन्द्र बनाम स्टेट आफ राजस्थान, 2016 (1) आर.ए.एफ.(राज.) 321** का अवलोकन किया गया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बरामदगी से संबंधित स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा विचारण के समय अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया एवं पक्षद्रोही घोषित हो गए। मूल थैले जिनमें तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही के दौरान डोडा पोस्त पैक एवं सीलबंद किया गया था, उनकी जगह नये थैले बदल दिए गए। अभियोजन जब्ती की प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा एवं तथाकथित जब्ती से संबंधित अभियोजन की सम्पूर्ण साक्ष्य खारिज किए जाने योग्य है।

36– न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए नमूने निश्चायक रूप से वे नमूने नहीं माने जा सकते हैं, जो अभियुक्तगण से जब्त किए गए थे। मुद्दा माल उसी अवस्था में प्रदर्शित कराने में असफल रहा है। एन.डी.पी.एस. एक्ट की बरामदगी को आलिप्त करने वाले मामले में अभियोजन के लिए घातक होता है तथा मूल अवस्था में मुद्दा माल को परीक्षित करवाने में असफल रहने के कारण मादक पदार्थ के परिवहन के लिए अभियुक्त जोरासिंह को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियुक्त पर केवल यह आरोप है कि निषिद्ध पदार्थ वाहन के अन्दर से बरामद किया था। अभियोजन को इस संबंध में अपने भार को निवर्हन से मुक्त नहीं करेगा। धारा 35 के अन्तर्गत उपधारणा किए जाने का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा, जब अभियोजन प्रारम्भिक भार का निवर्हन कर देगा। अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियुक्त जोरासिंह के विरूद्ध धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

–<u>अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के संबंध में विवेचन</u>–

37– **अभियुक्तगण उदयलाल व हेमराज** के विरूद्ध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस.

एक्ट के अपराध का आरोप है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियुक्तगण का मुख्य आरोपी रेशमीसिंह के साथ किसी प्रकार की टेलीफोनिक वार्ता हुई हो, इस संबंध में कोई काल डिटेल्स पत्रावली पर नहीं है तथा अभियुक्तगण को केवल सह अभियुक्त द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के आधार पर अभियुक्त नहीं माना जा सकता। अभियुक्तगण की मुख्य आरोपी रेशमीसिंह के साथ कोई लिंक साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

38– उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो **गवाह पी.ड.–10 सुखराम** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 23.04.2017 को पुलिस थाना केकडी पर हैड कानि. था। उस दिन मुकदमा नम्बर 61/2017 थाना सरवाड़ में गिरफ्तारशुदा मुलजिम हेमराज पुत्र उदयलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया थाना बेंगू जिला चित्तौडगढ़ ने उसके व कानि. विजय 2047 के समक्ष अनुसंधान अधिकारी श्री हरिराम कुमावत थानाधिकारी केकड़ी के आगे आगे चलकर मुताबिक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जोगणियां माता से देवरिया जाने वाले रास्ते से ग्राम पालका की तरफ मुडने वाले रास्ते पर मुलजिम रेशमी सिंह की गाड़ी स्कार्पियों नम्बर पी.बी.03–आर–4581 में अवैध डोडा पोस्त भरने वाले स्थान को बताया, जिसकी निशांदेही से तस्दीक नक्शा–मौका प्रदर्श पी–21 मुर्तिब किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 24.04.2017 को मुलजिम हेमराज पुत्र उदयलाल धाकड अनुसंधान अधिकारी श्री हरिराम कुमावत को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी कि ''मैं जिस मोबाईल से मुलजिम रेशमी सिंह से बातचीत करता था उसको मेरे लडके के पास है उसको बरामद करवा सकता हूं, जो प्रदर्श पी 23 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

39– **अधिवक्ता अभियुक्त हेमराज की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे आज याद नहीं कि नक्शा–मौका तस्दीक कराने प्राईवेट वाहन से गए थे, उसके नंबर क्या थे। हम मौका तस्दीक करने की कार्यवाही हेतु थाने से 10.30 ए.एम. पर रवाना हुए थे। यह सही है कि तस्दीक नक्शा–मौका प्रदर्श पी–21 में ''एक्स'' स्थान पर खुली जगह पर आम रास्ता है तथा मैं पहले कभी भी उक्त स्थान पर नहीं गया। आज मुझे याद नहीं कि हम मौके से सीधे केकड़ी थाना आ गए हों।

40– **गवाह पी.ड.–12 सोहनलाल** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 20.04.2017 को कानि0 के पद पर पुलिस थाना केकड़ी में पदस्थापित था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी हरिराम कुमावत ने मुकदमा संख्या 61/2017 अपराध अंतर्गत धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में मुल्जिम हेमराज उर्फ हेमा पुत्र उदयलाल धाकड़ निवासी रामपुरिया पुलिस थाना बेंगू चितौड़ को गिरफ्तार

किया। मुल्जिम हेमराज ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी कि ''मैंने हमारे गांव के उदयलाल के बताये अनुसार डोडा पोस्त का चूरा रेशमी सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति को जोगणिया माता के पास पहाडियों में 08 बोरियों में दी जिस जगह स्कॉरपियों में लोड करवायी थी वह जगह मैं चलकर बता सकता हूं'' जो प्रदर्श पी 20 है। मुल्जिम हेमराज ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि ''मैं रेशमीसिंह से मोबाईल पर बातचीत करता था वह मोबाईल हमारे घर के कमरे में रखा है जो मोबाईल मैं चलकर बरामद करवा सकता हूं'' जो प्रदर्श पी 22 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

41– **अधिवक्ता अभियुक्त हेमराज की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि मैं एस.एच.ओ. को हवालात में बुलाकर नहीं लाया, गवाह ने फिर कहा कि हम एस.एच.ओ. के साथ थे। मुझे आज याद नहीं कि हेमराज हिन्दी में या मारवाड़ी में बात करता हो।

42– **गवाह पी.ड.–13 विजयसिंह** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 20.04.2017 को पुलिस थाना केकड़ी में कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 61/2017 अंतर्गत धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना सरवाड़ में आरोपी हेमराज उर्फ हेमु पुत्र उदयलाल जाति धाकड़ निवासी रामपुरिया पुलिस थाना बेंगु जिला चितौडगढ़ को अनुसंधान अधिकारी हरिराम कुमावत सीआई ने उसके व जितेन्द्र कानि0 के समक्ष पुलिस थाना केकड़ी में जरिये फर्द प्रदर्श पी–19 गिरफ्तार किया। आरोपी हेमराज उर्फ हेमु ने धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि ''मैंने डोडा पोस्त की बोरी रेशमी सिंह व अन्य एक व्यक्ति को जिस जगह से लोड करवायी थी वह जगह मैं साथ चलकर बता सकता हूं'' जो प्रदर्श पी 20 है। आरोपी हेमराज उर्फ हेमु ने धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि ''मैं रेशमी सिंह जिस मोबाईल से बात करता था वह मोबाईल हमारे घर पर कमरे में रखा हुआ है जो साथ चलकर बता सकता हूं'' जो प्रदर्श पी 22 है। दिनांक 24.04.2017 को आरोपी हेमराज उर्फ हेमु ने धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि ''मैं रेशमी सिंह जिस मोबाईल से बात करता था वह मोबाईल मेरा लड़का संजय घबराकर हमारे रिश्तेदारी में लेकर चला गया मैं मोबाईल को 2–3 दिन में मेरी रिश्तेदारी में चलकर मेरे लड़के संजय से बरामद करवा सकता हूं'' जो प्रदर्श पी 23 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 23.04.2017 को आरोपी ने रेशमीसिंह व अन्य व्यक्ति को स्कार्पियों गाडी में डोडा पोस्त लोड करवाने वाले स्थान की तस्दीक करवायी जिसका तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–21 मुर्तिब किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

43– **अधिवक्ता अभियुक्त हेमराज की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरी जानकारी में नहीं है कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–19 में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, उसे कहां से लाए थे तथा उसके पास कोई मोबाईल था या नहीं। यह

सही है कि फर्द इत्तिला प्रदर्श पी–20 में जो स्थान बताया गया है, वह स्थान जोगणिया माता के पास पहाडियों में होना बताया गया है। यह भी सही है कि इत्तिला प्रदर्श पी–20 पर हमने जिस स्थान का नक्शा–मौका तस्दीक प्रदर्श पी–21 बनाया, वह पहाडियां न होकर एक आम रास्ता है तथा फर्द इत्तिला प्रदर्श पी–22 में इस बात का अंकन नहीं है कि रेशमीसिंह के किस नंबर पर और अपने किस नंबर से बात करता था। मैं यह नहीं बता सकता कि इत्तिला प्रदर्श पी–22 पर हम इत्तिला देने वाले के गांव या घर पर गए थे। मेरी जानकारी में नहीं है कि फर्द इत्तिला प्रदर्श पी–23 के अनुसार मैं अनुसंधान अधिकारी के साथ गया था।

44– **गवाह पी.ड.–17 केदारसिंह** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 26–11–2019 को पी.एस. सरवाड़ पर कानि. था। दिनांक 28–11–2019 को प्र.सं.–61/2017 में फर्दतस्दीक नक्शा–मौका प्रदर्श पी–38 उसके तथा कानि. राजकिरण के समक्ष बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि हम लोग केकड़ी से सरवाड़ समय लगभग 3.00 ए.एम. पर पहुंच गए थे। घटना स्थल के आसपास आबादी क्षेत्र है।

45– **गवाह पी.ड.–18 राजकिरण** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 28.11.2019 को पुलिस थाना सरवाड पर कानि के पद पर पदस्थापित था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी सतपाल जी के साथ वह कानि. केदार, अभियुक्त उदयलाल को साथ लेकर उसकी इत्तिला मुताबिक जहां से उसने स्कोरपियों में माल भरवाया था, उस स्थान पालका गांव में तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–38 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 31.10.2023 को अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा उसके व कानि. कमल किशोर के समक्ष पुलिस थाना सरवाड पर अभियुक्त जोरा सिंह को जरिए फर्द प्रदर्श पी–39 गिरफतार किया था तथा अभियुक्त जोरासिंह को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–40 दिया गया, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

46– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि उदयलाल ने मेरे समक्ष कोई इत्तिला नहीं दी थी। हम सरवाड़ से जोगणिया माता के लिए 3.30 ए.एम. पर रवाना हुए थे तथा हमने जोगणिया माता की स्थानीय पुलिस से सहायता नहीं ली। यह भी सही है कि हमने देवरिया गांव के किसी स्थानीय व्यक्ति को साथ नहीं लिया तथा घटनास्थल पर टायरों के निशान के आलामात नहीं थे, क्योंकि घटनास्थल का मौका तस्दीक घटना के काफी दिन बाद बनाया गया था।

47– **गवाह पी.ड.–20 सतपाल** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 26–11–2019 को वह पुलिस थाना सरवाड़ पर थानाधिकारी था। उस दिन प्रकरण संख्या–61/2017 धारा8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में मुलजिम उदयलाल द्वारा न्यायालय के समक्ष सरेन्डर किए जाने की तत्कालीन पी.पी. परवेज नकवी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराए जाने व उसके कानून व्यवस्था में व्यस्त होने से केकड़ी

थानाधिकारी महावीर शर्मा द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर उदयलाल को जरिए फर्द गिरफ्तार किया जाकर सरवाड़ थाना जाप्ता के सुपुर्द किया, जिससे उसके द्वारा अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान मुलजिम उदयलाल ने धारा 27 सा.अ. की इत्तिला दी कि ''आज के ढाई–तीन साल पहले मैंने व हेमराज ने रेशमीसिंह व उसके एक साथ को अवैध अफीम डोडा पोस्त बेचा था, वह हम ए.पी. बार्डर के पास से खरीदकर लाए थे, वह जगह और आदमी के बारे में मैं आपके साथ चलकर बता सकता हूं''। उक्त इत्तिला प्रदर्श पी–61 है, जिस पर उसके व मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। फर्द तस्दीक नक्शा–मौका अवैध डोडा पोस्त दिनांक 28–11–2019 को कच्चा रास्ता पालका गांव जोगनिया से देवरिया जाने के रास्ते पर बनाया था, जो प्रदर्श पी–38 है, जिस पर उसके व मुलजिम के हस्ताक्षर हैं तथा पुश्त पर हालात–मौका है। मुलजिम गोरचियती का सजायाबी रेकार्ड प्रदर्श पी–62 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तस्दीक सकुन्नत प्रदर्श पी–63 लगायत पी–65 व नकल रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–66 है।

48– **अधिवक्ता अभियुक्त उदयलाल की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–61 में कांस्टेबल नरेश कुमार के नाम का अंकन नहीं है, लेकिन उसके हस्ताक्षर हैं तथा फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी–38 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं, क्योंकि व्यक्तियों ने गवाह बनने से इनकार कर दिया। फर्द प्रदर्श पी–38 में कितने कट्टे, कितने रूपए में बेचे थे तथा किस तारीख को बेचे थे, इसका अंकन नहीं है, फिर कहा कि हालात मौका में अवैध डोडा पोस्त भरवाने का अंकन है।

49– **गवाह पी.ड.–23 सुरेन्द्र कुमार गोदारा** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 16.04.2023 को पुलिस थाना सरवाड़ में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसे तत्कालीन थानाधिकारी सूर्यभान सिंह से प्रकरण संख्या 61/2017 अंतर्गत धारा 8/15, 8/25, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में आरोपी जोरासिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जट सिक्ख उम्र 74 साल निवासी मिश्रीवाला पुलिस थाना सदर फरीदकोट पंजाब के विरूद्व धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित माना जाकर आरोपी के विरूद्व माननीय न्यायालय से धारा 37 पुलिस एक्ट का वारंट मांगा गया था। माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया था। आरोपी जोरासिंह को दिनांक 31.10.2023 को अपराध अंतर्गत धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जरिये फर्दे प्रदर्श पी–39 गिरफ्तार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी जोरासिंह को गिरफ्तारी की सूचना व गिरफ्तारी के आधारों से अवगत करवाने बाबत् नोटिस धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी–40 दिया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी जोरासिंह को दिया गया नोटिस अंतर्गत धारा 41(1)बी 2 प्रदर्श पी–123 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पत्रावली को अग्रिम अनुंसधान हेतु सत्यवान सिंह उपनिरीक्षक को सुपुर्द की। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मैंने आरोपी

जोरासिंह को गिरफ्तार किया था तथा घटना के संबंध में कोई काल डिटेल नहीं ली।

50– **गवाह पी.ड.–15 सिद्धार्थ प्रजापत** अनुसंधान अधिकारी ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 22.02.2017 को पुलिस थाना भिनाय पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उसे उस दिन मुकदमा संख्या 61/2017 अन्तर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट की पत्रावली वास्ते अनुसंधान प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान गिरफतार मुलजिम रेशमी सिंह ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि ''मैं जोगणिया माता चित्तौडगढ के पास से हेमराज व उदयलाल नाम के व्यक्ति से अफीम डोडा पोस्त चूरा लेकर आया था, उन व्यक्तियों व जगह को आपके साथ चलकर बता सकता हूं'', इत्तिला प्रदर्श पी–25 है, जिस पर ए से बी अभियुक्त रेशमी सिंह तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द तस्दीक नक्शा–मौका अवैध डोडा पोस्त स्कार्पियों गाडी भरने का स्थान, पालका गांव का कच्चा रास्ता प्रदर्श पी–21 है। उसके द्वारा काल डिटेल प्राप्त करने के संबंध में एस.पी. साहब को लिखे गए पत्र का ई–मेल प्रदर्श पी–26 है तथा केफ फार्म प्रदर्श पी–27 है। उसके द्वारा अभियुक्त हेमराज के मोबाईल नबरं– 8875051469 व 9828099644 तथा अभियुक्त रेश्मीसिंह के मोबाईल नंबर 8427736825 व 7087128839 की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–28 निकाली गई, जिसमें कुल 30 पेज थे। हेमराज का केफ फॉर्म प्रदर्श पी–29 है, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित है। एस.पी. साहब के आदेश की अनुपालना में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना केकड़ी को सुपुर्द की।

51– **गवाह पी.ड.–9 हरिराम** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 09.04.2017 को पुलिस थाना केकड़ी में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 61/2017 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सरवाड़ का अग्रिम अनुसंधान पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा उसके जिम्मे किया जावे। दौराने अनुसंधान उसने दिनांक 20.04.2017 को मुल्जिम हेमराज उर्फ हेमा पुत्र उदयलाल धाकड़ तत्कालीन उम्र 34 साल निवासी रामपुरिया थाना बेंगू जिला चितौड़गढ़ को गवाहान् जितेन्द्र सिंह व विजय की मौजदूगी में जरिये फर्द प्रदर्श पी–14 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। दौराने अनुसंधान मुल्जिम हेमराज उर्फ हेमा ने स्वेच्छापूर्वक इत्तिला दी कि ''मैंने हमारे गांव के उदयलाल के बताये अनुसार डोडा पोस्त का चूरा रेशमीसिंह व अन्य व्यक्ति को जोगणिया माता के पास पहाडियों में डोडा पोस्त चूरा की आठ बोरियां जिस जगह लोड करवायी थी वह स्थान चलकर बता सकता हूं'' इत्तिला मुल्जिम के कहे अनुसार 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–20 गवाह विजय व सोहन की मौजूदगी में दर्ज की गयी। उक्त इत्तिला की तस्दीक में मुल्जिम की निशांदेही से तस्दीक मौका प्रदर्श पी–21 बनाया। दौराने अनुसंधान मुल्जिम हेमराज उर्फ हेमा ने स्वेच्छापूर्वक इतला दी कि ''मैं रेशमी सिंह से मोबाईल पर बातचीत करता था वह मोबाईल हमारे घर में कमरे में रखा है, जिसे चलकर बरामद करा सकता हूं'' उक्त

ईतला मुल्जिम के कहे अनुसार 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–22 गवाहों की मौजदूगी में दर्ज की गयी।

52– **गवाह पी.ड.–9 हरिराम** ने यह भी साक्ष्य दी है कि दौराने अनुसंधान मुल्जिम हेमराज उर्फ हेमा ने एक अन्य ईतला स्वेच्छापूर्वक दी कि ''मैं रेशमीसिंह से जिस मोबाईल से बातचीत करता था वह मोबाईल मेरा लड़का संजय घबराकर हमारी रिश्तेदारी में लेकर चला गया वह मोबाईल एक–दो दिन में चलकर रिश्तेदारी में बरामद करवा सकता हूं'' उक्त इत्तिला मुल्जिम के कहे अनुसार 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श–22 गवाहों की मौजदूगी में दर्ज की गयी। उक्त फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गवाहान् गणेश लाल, गणपतलाल के बयान गवाहान् के कथनानुसार दर्ज किये गये। प्रकरण में अभियुक्त रेशमी सिंह, गोरचियती सिंह के विरूद्व अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, हेमराज व उदयलाल धाकड़ के विरूद्व अंतर्गत धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट व अभियुक्त जोरासिंह के विरूद्व 8/25 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया था। मुल्जिम रेशमी सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में 180 दिन की अवधि पूर्ण होने जा रही थी। अतः मुल्जिमान् रेशमी सिंह व हेमराज उर्फ हेमा के विरूद्व प्रकरण में आरोप पत्र पेश करने व शेष अभियुक्तगण उदयलाल, जोरासिंह, गोरचियती सिंह के विरूद्व धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान पेण्डिंग रखने के लिये पत्रावली उच्चाधिकारियों को भिजवायी गयी।

53– **अधिवक्ता अभियुक्त हेमराज की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही हैकि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–19 में अभियुक्त को कौन, कहां से लेकर आए, इसका अंकन नहीं है तथा अभियुक्त हेमराज से कोई मोबाईल बरामद नहीं किया। गवाह ने फिर कहा कि अभियुक्त के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी थी, लेकिन अभियुक्त के द्वारा कोई मोबाईल बरामद नहीं करवाया। यह सही है कि अभियुक्त के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–20 के अनुसार डोडा पोस्त जोगणिया माता के पास पहाडियों में लोड करवाया था। उक्त इत्तिला के आधार पर नक्शा–मौका प्रदर्श पी–29 तस्दीक करवाया था, जिसमें ''एक्स'' स्थान पर जोगणिया से देवरिया जाने का आम रास्ता दर्शित है। गवाह ने फिर कहा कि पहाडियां व जोगणिया माता का मंदिर अंकित नहीं है। मैंने पूर्व अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अन्य मुलजिमान की निशांदेही से मौके पर जाकर नक्शा–मौका तस्दीक नहीं करवाया। यह सही है कि प्रदर्श पी–22 में अभियुक्त हेमराज जिस मोबाईल से रेशमीसिंह से बात करता था, वह मोबाईल कौनसा व किस कम्पनी व नंबर का था, का अंकन फर्द में नहीं है। यह सही हैकि मैंने हेमराज से जिस फोन से बात की, वह फोन किसके नाम पर था, इस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया। अभियुक्त हेमराज के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–22 में बताए गए मोबाईल के संबंध में किस–किस स्थान पर गया, का उल्लेख नहीं है, गवाह ने कहा कि केस डायरी में उल्लेख है। मैं पत्रावली देखकर नहीं बता सकता कि रोजनामचे की प्रति पत्रावली में है या

नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है कि फर्द इत्तिला प्रदर्श पी–23 की इत्तिला पर मैं कहां–कहां, किस–किस स्थान पर गया तथा किस–किससे अनुसंधान किया तथा मैंने इत्तिला के आधार पर कोई फर्द मुर्तिब नहीं की।

54– **गवाह पी.ड.–15 सिद्धार्थ प्रजापत** के द्वारा अभियुक्तगण की काल डिटेल प्राप्त करने के लिए एस.पी. को लिखे गए पत्र का ई–मेल प्रदर्श पी–26 है तथा कैफ फार्म प्रदर्श पी–27 है तथा उसके द्वारा अभियुक्त हेमराज के मोबाईल नंबर–8875051469 व 9828099644 तथा रेशमीसिंह के मोबाईल नंबर–8427736825 व 7087128839 की काल डिटेल्स प्रदर्श पी–28 है। हेमराज का कैफ फार्म नंबर–29 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.–15 सिद्धार्थ प्रजापत के द्वारा पुलिस अधीक्षक को मोबाईल नंबर–7087128839 व 8427736825 के काल डिटेल्स प्राप्त करने हेतु एस.पी. अजमेर को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–26 है तथा अभियुक्त हेमराज के मोबाईल नंबर–8875051469 के संबंध में एस.पी. अजमेर को मोबाईल कम्पनी के कैफ की प्रति उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रदर्श पी–27 लिखा गया है। उक्त मोबाईलों के संबंध में काल डिटेल्स प्रदर्श पी–28 है, जो कि फोटोप्रति है तथा अभियुक्त हेमराज के मोबाईल नंबर–9828099644 का कैफ फार्म प्रदर्श पी–29 है। यहां यह उल्लेख किया जाना है कि सुयोग्य अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्तगण के मध्य हुई टेलीफोनिक वार्ता के संबंध में काल डिटेल्स प्रदर्श पी–28 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई है, लेकिन सुयोग्य अनुसंधान अधिकारी के द्वारा सी.डी.आर. के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र लेना मुनासिब नहीं समझा।

55– इसके अतिरिक्त प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान **गवाह पी.ड.–9 हरिराम** के द्वारा किया गया है तथा गवाह ने साक्ष्य दी है कि अभियुक्त हेमराज को जरिए फर्द प्रदर्श पी–19 गिरफ्तार किया था तथा उसके द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–20 व प्रदर्श पी–22 दी गई थी, जिसके आधार पर नक्शा–मौका तस्दीक प्रदर्श पी–21 बनाया गया। गवाह के द्वारा अभियुक्तगण के मध्य किसी प्रकार की टेलीफोनिक वार्ता के संबंध में किसी प्रकार का अनुसंधान किया गया हो, नहीं बताया है। **गवाह पी.ड.–23 सुरेन्द्र कुमार गोदारा** के द्वारा किया गया है तथा **बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटना के संबंध में कोई काल डिटेल रेकार्ड प्राप्त नहीं किया।** भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रोनिक रेकार्ड को मौखिक साक्ष्य के द्वारा सिद्ध करने की अनुमति तब तक नहीं देता है, जब तक कि धारा 65 बी की अनिवार्य आवश्यकता की पालना नहीं की गई हो। चूंकि अनिवार्य प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है, इसीलिए सी.डी.आर. प्रदर्श पी–32 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। किसी आरोपी को केवल धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के तहत दी गई जानकारी के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता है। धारा 27 साक्ष्य

अधिनियम (तथ्यों की खोज) केवल एक सहायक साक्ष्य है, जिसका उद्देश्य किसी तथ्य की खोज को सिद्ध करना है, न कि कोई ठोस साक्ष्य है तथा इसे अन्य साक्ष्य से साबित करना है। हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र अभियुक्तगण के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के अतिरिक्त अभियुक्तगण उदयलाल व हेमराज को प्रकरण से जोड़े जाने के लिए कोई लिंक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। सुयोग्य अनुसंधान अधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत, हरिराम कुमावत, सुरेन्द्र कुमार गोदारा द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं लेना, स्वतंत्र गवाहान का पक्षद्रोही होना, पुलिसकर्मी की साक्ष्य में विरोधाभास होना, इन सभी तथ्यों का लाभ अभियुक्तगण को दिया गया। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण उदयलाल व हेमराज के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध साबित करने में असफल रहा है।

– <u>विचारणीय बिन्दु संख्या–3</u> –

56– अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अभियुक्त जोरासिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्तगण उदयलाल व हेमराज के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट को साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। अतः अभियुक्त जोरासिंह आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्तगण उदयलाल व हेमराज आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किए जाने के अधिकारी हैं।

– <u>आ दे श</u> –

57– अतः अभियुक्त **(1) हेमराज उर्फ हेमा** पुत्र उदयलाल आयु 34 वर्ष, निवासी रामपुरिया, पुलिस थाना बेगू, जिला–चित्तौड़गढ़ **(2) उदयलाल** पुत्र भंवरलाल आयु 42 वर्ष, निवासी रामपुरिया पुलिस थाना बेगू, जिला– चित्तौड़गढ़ (राज.). को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में तथा **(3) जोरासिंह** पुत्र अर्जुनसिंह आयु 74 वर्ष, निवासी मिश्रीवाला, पुलिस थाना सदर फरीदकोट, जिला–फरीदकोट (पंजाब) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जाता है।

58– अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत, मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

59– अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलीय न्यायालय में अपील होने की सूरत में 25,000–25,000/–रूपए के जमानत, मुचलके न्यायालय में पेश करें।

60– **हस्तगत प्रकरण में सह अभियुक्त गोरचियती सिंह उर्फ गुरूचित सिंह उर्फ गुरूचेत सिंह मफरूर है। अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।**

(जयमाला पानीगर)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. कैसेज एवं
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

61– निर्णय व आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल 2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(जयमाला पानीगर)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. कैसेज एवं
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

–––––––